2014 से पहले आर्थिक उन्नति को लेकर आशाहीन था देश : निर्मला सीतारमण

‘पिछले दस सालों में पी.एम. मोदी के नेतृत्व में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा’

- ‘वित्त वर्ष 2023-24 की तीनों तिमाही में वृद्धि दर प्रति तिमाही 8 प्रतिशत या उससे ज्यादा रही है’
- सीए फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन और व्यवसायिक संवाद को किया संबोधित
- प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि, ‘‘ईआरसीपी और पीकेसी लिंक समझौते को लेकर गहलोत ने प्रदेश की जनता को किया गुमराह, भाजपा ने 100 दिन की कार्य योजना में किया समझौता’’

जयपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन और होटल क्लार्क में आयोजित व्यवसायिक संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि देश 2014 से पहले आर्थिक उन्नति को लेकर आशाहीन था। पिछले दस सालों में देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा है, और निराशा दूर हुई है। देश के हर वर्ग में सकारात्मकता का भाव है। अंतिम तिमाही में अर्थव्यवस्था में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। यह बताता है कि भारत किस गति से ग्रोथ करना चाहता है।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी आने के बाद हर महीने चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल्स को इंतजार रहता है कि इस महीने जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी हमने रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्म की बात कही है। आपने देखा होगा वित्त वर्ष 2023-24 की तीनों तिमाही में प्रति तिमाही वृद्धि दर 8 प्रतिशत या उससे ज्यादा रही है। तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत रही तो वहीं चौथी तिमाही में भी इसी लेवल की वृद्धि दर की हम अपेक्षा कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2023-24 में औसत वृद्धि दर टिकाऊ आर्थिक वृद्धि दर है। हम अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पूरी दुनिया में पिछले तीन साल से लगातार हम सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था रहे हैं। उसी तरह आने वाले सालों में भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आर्थिक नीति, व्यापक आर्थिक स्थिरता, स्थिर सरकार, स्थिर टैक्स नीति और सरकार के टेंडर तथा खरीदारी आदि पारदर्शी तरीके से होने की वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था की विदेशों में भी बहुत साख है। आज भारत में निवेशक आ रहे हैं और भविष्य की उम्मीदों के साथ निवेश कर रहे हैं।

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एक जहां भाजपा के संकल्प पत्र को विकसित भारत 2047 का विजन पत्र बताया वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर चुनाव के समय वोट के लिए झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना पर काम करते हुए ईआरसीपी और पीकेसी लिंक योजना समझौता किया। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जल की भारी किल्लत होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण योजना को लटकाए रखा। मेरी नजर में अशोक गहलोत पहले ऐसे सीएम है जिन्होंने पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से नहीं लिया और ईआरसीपी योजना को अटकाने का काम किया।

वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क देने का वादा किया है। राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना की व्यापक संभावनाएं हैं। इससे जनता को मुफ्त बिजली के साथ ही रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाकर अतिरिक्त आय बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा।

प्रेसवार्ता के दौरान मंच पर भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ अल्का गुर्जर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ मौजूद रहे।

बसपा से जीते दोनों विधायक शिवसेना (शिंदे) में शामिल हुए

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दोनों विधायक विधायक न्यांगली और जसवंत गुर्जर सोमवार को मुंबई पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करवाई।

- 2008 और 2018 में भी बसपा से जीतकर सभी विधायकों ने थाम लिया था कांग्रेस का हाथ

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में बसपा का आंकड़ा फिर शून्य हो गया है। 2008 और 2018 की तरह एक बार फिर बसपा से जीतने वाले विधायकों ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा प्रमुख मायावती की राजस्थान में होने वाली एकमात्र चुनावी सभा से पहले बसपा को लोकसभा चुनाव 2024 से राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। इस बार बसपा टिकट पर जीतने वाले दो विधायक मनोज न्यांगली और जसवंत गुर्जर शिवसेना (शिंदे) में शामिल हो गए हैं।

विधायक न्यांगली और जसवंत गुर्जर शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दोनों विधायक शामिल हुए। दोनों विधायक अचानक सोमवार को मुंबई पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करवाई।

न्यांगली चूरू संसदीय क्षेत्र की सादुलपुर और जसवंत गुर्जर धौलपुर के बाड़ी से विधायक हैं। इस मौके पर बसपा के राजस्थान प्रमुख लखनसिंह पंवार और शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर न्यांगली ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में हुए विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की। एकनाथ शिंदे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के चलते न्यांगली ने ये बड़ा फैसला लिया है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में न्यांगली प्रचार करेंगे। राजस्थान में मायावती की पार्टी बसपा के दो ही विधायक बचे थे जो कि अब शिवसेना में शामिल हो गए हैं।

इससे पहले 2008 और 2018 में राजस्थान से बसपा से जीते छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस दौरान अशोक गहलोत की राजस्थान में सरकार थी। एक साथ जब 6 विधायकों ने बसपा छोड़ी तो बसपा की स्थिति राजस्थान में कमजोर हो गई थी। बुधवार 17 अप्रैल को अलवर में मायावती की सभा होने से पहले उनको बड़ा झटका लगा है।

समर्थन मूल्य योजना में चना, सरसों खरीद की पंजीयन सीमा बढ़ायी

जयपुर, (का.सं.)। प्रबन्ध निदेशक, राजफैड ने बतलाया कि राज्य में दलहन-तिलहन (चना, सरसों) की खरीद के लिए कृषक पंजीयन की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इस निर्णय से चने, सरसों के लिए कुल 68386 किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पंजीयन सीमा का लाभ किसान दिनांक 18 अप्रेल 2024 से प्राप्त कर सकेगें।

प्रबन्ध निदेशक राजफैड़ एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा सरसों खरीद हेतु 14,61,028 मै.टन एवं चना खरीद हेतु 4,52,365 मै.टन के लक्ष्य स्वीकृत किये गये है। आज प्रातः तक राज्य में सरसों के 2 लाख 52 हजार 319 एवं चने के 33 हजार 282 कुल 2 लाख 85 हजार 601 पंजीयन हो चुके है। सरसों विक्रय हेतु 52547 को एवं चना विक्रय हेतु 13877 कुल 66424 किसानों को दिनांक आवंटित की जाकर 20675 किसानों से लगभग 44665 मै.टन सरसों-चना राशि 252 करोड़ रुपये का क्रय किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा सरसों-चना का घोषित समर्थन मूल्य क्रमशः 5650 एवं 5440 का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान भाईयों से यह भी अनुरोध है कि वह संबंधित क्रय केन्द्र/ई-मित्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित यथा (गिरदावरी, बैंक पासबुक, जन-आधार कार्ड) पंजीयन शीघ्र करवायें।

दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक समेत कई लोगों के ठिकानों पर ए.सी.बी. के छापे

आरोपी के.के.मीणा के जयपुर आवास से भूखंडों के 131 पट्टे, 740 ग्राम सोना, 3.90 किलो चांदी और 7 लाख रु. के डायमण्ड आभूषण, एक बैंक लॉकर और 5 बैंक खाते मिले हैं

ए.सी.बी. को शिकायत मिली थी कि के.के.मीणा ने जसाराम वरिष्ठ प्रबंधक (रिटायर्ड) एवं उनके पुत्र प्रवीण मीणा के मार्फत 40 लाख रु. रिश्वत लेकर अपने परिचितों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अलग-अलग टीमों ने मंगलवार को दी सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के.के.मीणा व अन्य के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण में आरोपियों के जालौर और जयपुर में स्थित तीन विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि, के.के.मीणा तत्कालीन प्रबंध निदेशक दी सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला जालौर (हाल निलंबित) द्वारा जसाराम वरिष्ठ प्रबंधक (रिटायर्ड) एवं उनके पुत्र प्रवीण मीणा के मार्फत रिश्वत के रूप में 40 लाख रुपए प्राप्त कर अपने

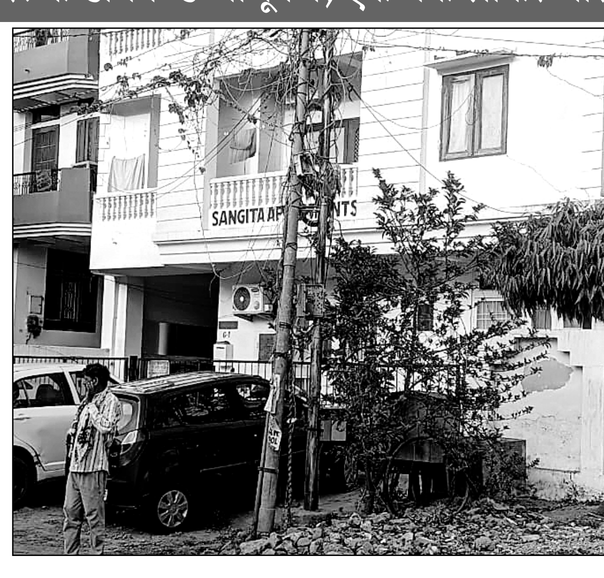

दी सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के.के.मीणा समेत अन्य लोगों के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण में एसीबी ने जालौर और जयपुर में स्थित तीन विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

परिचितों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। शिकायत का सत्यापन कर भ्रष्टाचार का मामला बनना पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर सिरोही के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में कई टीमें मंगलवार अलसुबह आरोपियों के जयपुर एवं जालोर स्थित तीन ठिकानों पर दबिश देकर तलाशी ली गई।

तलाशी में आरोपी के.के.मीणा के जयपुर स्थित आवास से आवासीय भूखण्डों के 131 पट्टे, 740 ग्राम सोने के आभूषण, 3.90 किलो ग्राम चांदी एवं 7 लाख रुपए के डायमण्ड आभूषण मिले हैं। इसके अतिरिक्त 1 बैंक लॉकर एवं 5 बैंक खाते भी मिले हैं। संदिग्ध जसाराम वरिष्ठ प्रबंधक (रिटायर्ड) के जालोर स्थित आवास से तलाशी में 52 लाख रुपए की एफडी, 22 तोला स्वर्ण आभूषण, 4 किलो ग्राम चांदी तथा 2 लाख रुपए की नकदी मिली है।

ब्यूरो के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी के के मीणा द्वारा अनेक परिसंपत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से अधिक है। एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पतियां अर्जित करने का प्रकरण पृथक से पीसी एक्ट में दर्ज किया गया है।

देवनानी ने विधायक आवास परिसर का किया निरीक्षण

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधायक आवास परिसर का निरीक्षण किया। देवनानी ने बताया कि विधायक आवास परिसर में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। परिसर में डेयरी और डिपार्टमेन्टल स्टोर सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र आरम्भ की जायेगी। देवनानी ने परिसर में पार्किंग व सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परिसर में चिकित्सा व्यवस्थाओं और बैंकिंग सुविधाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिये। विधानसभा अध्यक्ष ने कैमरों के संचालन, मिनी थियेटर, जिम, रेस्टोरेन्ट, अतिथि गृह में भी आवश्यक व्यवस्थाओं में विस्तार किये जाने के लिए कहा। इस मौके पर प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, सम्पदा प्रबंधक पृथ्वी सिंह सहित चिकित्सक व अधिकारी मौजूद थे।

सीनियर रेजीडेंट का निलंबन निरस्त

कांवटिया अस्पताल प्रसव प्रकरण

- मल्टीपल ड्यूटी रोस्टर के कारण पैदा हुई थी असमंजस की स्थिति
- पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित

जयपुर। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हरिबक्श कांवटिया अस्पताल प्रसव प्रकरण में सीनियर रेजीडेंट डॉ. सुषमा का निलंबन निरस्त किया है। साथ ही ड्यूटी रोस्टर में गफलत के कारण डॉ. सुषमा के निलंबन को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति तथा पूरे प्रकरण की पुनः जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

उल्लेखनीय है कि हरिबक्श कांवटिया अस्पताल में एक महिला का 3 अप्रेल को अस्पताल परिसर में प्रसव हो गया था। इस प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टया सीनियर रेजीडेंट डॉ. सुषमा को भी दोषी मानते हुए निलंबित किया गया था। बाद में डॉ. सुषमा ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बताया कि ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उनकी फ्लोर ड्यूटी प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी। यह प्रकरण 3 अप्रेल को शाम करीब 6.30 बजे घटित हुआ। उस समय डॉ. सुषमा ऑन कॉल ड्यूटी पर थी और जूनियर डॉक्टर द्वारा सूचित करने पर अस्पताल पहुंच गई थी।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर की रिपोर्ट में डॉ. सुषमा को प्रकरण घटित होने के समय फ्लोर ड्यूटी पर अनुपस्थित होना बताया गया। डॉ. सुषमा के अभ्यावेदन पर पुनः जांच में पाया गया कि वह घटना के समय ऑनकॉल ड्यूटी पर थी और सूचना मिलने पर अस्पताल में उपस्थित भी हो गई थी। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जयपुर की पुनः जांच के बाद प्रेषित रिपोर्ट में इस स्थिति से अवगत करवाया गया। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉ. सुषमा का निलंबन वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही ड्यूटी रोस्टर को लेकर पैदा हुई असमंजस की स्थिति तथा पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए नई कमेटी का गठन किया है।

अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, अरूण गर्ग की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में उप निदेशक चिकित्सा शिक्षा खेमाराम यादव, महिला चिकित्सालय जयपुर की वरिष्ठ आचार्य डॉ. आशा वर्मा एवं डॉ. ज्योत्सना व्यास तथा जनाना अस्पताल की आचार्य डॉ. अदिति बंसल सदस्य होंगी। यह कमेटी 7 दिन में प्रकरण में जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

हाईकोर्ट ने बजरी चोरी मामले की जांच सी.बी.आई. को दी

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बजरी के अवैध खनन और उसके परिवहन से जुडे मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि लगता है कि यहां पुलिस और खान विभाग की बजरी माफिया से मिलीभगत है। इसके साथ ही अदालत ने बूंदी के सदर थाने में दर्ज बजरी चोरी के मामले की जांच सीबीआई को दी है। अदालत ने सीबीआई निदेशक को कहा है कि वह प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करे। इसके अलावा अदालत ने कहा है पर्यावरण हितों को देखते हुए सीबीआई को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह बनास और चंबल नहीं के आसपास के समान मामलों में बजरी माफियाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच कर चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी जब्बार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार बजरी माफिया के खिलाफ कागजी अभियान चलाते हैं और जब कार्रवाई की बात आती है तो कुछ नहीं किया जाता। जिससे जाहिर है कि इनकी आपसी मिलीभगत है। ऐसा लगता है कि अफसरों को कोई परवाह ही नहीं है। यहां तक की मामले में कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया। जांच अधिकारी न तो स्वयं पेश हुए और ना ही उनकी ओर से एक्शन रिपोर्ट पेश की गई। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक की ओर से केस डायरी को भी व्यवस्थित नहीं रखा गया।

पेप्सिको इंडिया कंपनी पर 9500 रुपए का हर्जाना

- कुरकुरे के पैकेट से कम नमकीन निकलने को आयोग ने सेवादोष माना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम ने कुरकुरे के सीलबंद पैकेट में तय 45 ग्राम नमकीन नहीं निकलने को गंभीर सेवा दोष और अनफेयर ट्रेड करार दिया है। इसके साथ ही आयोग ने पेप्सीको इंडिया होल्डिंग कंपनी पर 9500 रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने कंपनी को कहा है कि वह दो पैकेटों की 20 रुपए की राशि परिवाद दायर करने की तारीख 20 जून 2016 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को भुगतान करे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश मुकेश हरदासानी के परिवाद पर दिया।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने अपने घरेलू कार्यक्रम केलिए कुरकुरे के दस पैकेट सौ रुपए में खरीदे थे। उसने आठ पैकेट काम में ले लिए और जब बाकी दो पैकेट खोले तो उनमें नमकीन का वजन 45 ग्राम की बजाय 3 व 2 ग्राम ही था। वह जब पैकेटों को बदलवाने गया तो विक्रेता ने मना कर दिया और कहा कि इनकी पैकेजिंग व निर्माण में उसका कोई योगदान नहीं है। उसने यह पैकेट डीलर से खरीदे थे और वह नमकीन के पैकेट में कम मात्रा के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस पर परिवादी ने विक्रेता और निर्माता कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए हर्जा-खर्चा दिलवाने का आग्रह किया।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर में फरारी काट रहा दस हजार का इनामी बदमाश दबोचा

- पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जयपुर के भांकरोटा में कार्रवाई

जयपुर। पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने जयपुर के भांकरोटा इलाके में फरारी काटने आए चित्तौड़गढ़ जिले में वांटेड दस हजार रुपये के इनामी अपराधी प्यार चन्द खटीक निवासी जोयड़ा बावड़ी थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ को डिटेन किया है। इसे चितौड़गढ़ जिले के थाना चंदेरिया से आए पुलिसकर्मियों को सुपुर्द कर दिया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार दस हजार के इनामी बदमाश प्यार चन्द खटीक के विरुद्ध थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थ व अवैध शराब की तस्करी, मारपीट एवं

पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने जयपुर के भांकरोटा इलाके में फरारी काटने आए अपराधी प्यार चन्द खटीक को गिरफ्तार किया है।

संपत्ति संबंधी अपराध के दस आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2023 को चित्तौड़गढ़ जिले की मण्डफिया थाना पुलिस की टीम ने एक टेंपो से मक्की के कट्टों की आड़ में तस्करी किया जा रहा 1 किलो 319 ग्राम एमडीएमए मौली पाउडर जप्त कर चालक भंवरलाल खटीक पुत्र हीरा लाल निवासी मंगलवाड जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया था। भंवरलाल के परिजनों द्वारा एसपी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर रेंज आईजी को शिकायत दी की इसे झूठे केस में फंसाया गया है।

जांच में मण्डफिया एसएचओ यशवंत सिंह की भंवरलाल खटीक के रिश्तेदार व हिस्ट्रीशीटर पोखर खटीक निवासी चिकारडा थाना मण्डफिया हाल मंगलवाड़ से मिलीभगत पाई गई। इसके बाद एसएचओ यशवंत सोलंकी को सस्पेंड कर षड्यंत्र के फरार आरोपी पोखर खटीक व प्यार चन्द पर इनाम घोषित किया गया था।

इस कार्रवाई में एएसआई बनवारी लाल व हेड कांस्टेबल हेमंत कुमार की विशेष भूमिका व कांस्टेबल जितेंद्र कुमार का तकनीकी सहयोग रहा। टीम का कुशल नेतृत्व इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। टीम के सदस्य मनोज कुमार, गंगाराम व देवेंद्र सिंह का सहयोग रहा।

आम सूचना मेरे अभिभाष्यगण श्री हजारी लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामनाथ, श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि श्री हजारी लाल, ज्योति शर्मा पुत्री हजारी लाल शर्मा, रेणु शर्मा पुत्री हजारी लाल शर्मा, निवासीगण प्लाट नम्बर 393, लक्ष्मी नगर, मगोड़ी वालो की बगीची ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर के साईनशुदा चैक बुक एवं साईनशुदा खाली पाई पेपर, पेन कार्ड, आई.सी.आई. बैंक खाता संख्या-676101461740, 676101454445, 676101426718, 679001421607, पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 2976000100166187, 2976000100004391, 2976000100053665, बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 01150100026976, घर से चोरी हो गये है, जिसकी रिपोर्ट संख्या 24/2024 थाना ब्रह्मपुरी जयपुर में दर्ज है। कोई भी दीगर व्यक्ति उक्त कागजात का दुरुपयोग करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
जयपुर (के.आर.बैरवा) एडवोकेट
दिनांक-16/4/24 मो.नं.9414083756

एस.के.फाइनेंस लिमिटेड
(CIN : U65923RJ1994PLC009051)
पंजीकृत कार्यालय: जी 1-2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर- 302001 टोल फ्री: 1800 1039 039
ई-मेल: info@skfin.in
खोया-पाया
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अचल सम्पति मकान नं 67/215, ब्लॉक नं-67, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर राज. क्षेत्रफल 121.20 वर्गगज स्थित है। उक्त सम्पति सर्वप्रथम श्री रमेश जैतावत को राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.1995 को नियमानुसार आवंटित हुई थी। उक्त सम्पति पर एस. के फाईनेन्स लिमिटेड से सम्पति बंधक ऋण प्राप्त किया गया है। उक्त ऋण की सम्पूर्ण अदायगी के पश्चात सम्पति के मूल दस्तावेजात लौटाये जाने हेतु निकाले गये तो उक्त सम्पति के संबंध में श्री रमेश जैतावत द्वारा मोहम्मद अली के पक्ष में निष्पादित असल रजिस्टेड विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2013 का प्रथम पेज नहीं पाया गया। इसके बाबत् एस. के. फाईनेन्स द्वारा दिनांक 12.04.2024 को प्राथमिकी संख्या एल.आर. 2135374/2024 भी दर्ज करवा दी है। सर्वसाधारण को उक्त सम्पति के उक्त असल रजिस्टेड विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2013 के गुमशुदा के प्रथम पेज, विधिक वारिसान, मालिकाना हक, स्वामित्व, अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखित में मय दस्तावेज सूचित करे अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कोटपूतली
क्रमांक-भू.अ./24/1477 दिनांक-08.04.2024
विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में मूल खातेदार हजाम बक्श उर्फ अलीशेर पुत्र अबीज जाति मुसलमान व जुलाई कुरतर अमीम पुत्र अबीज जाति मुसलमान निवासी बड़ाबास, कस्बा कोटपूतली जिला कोटपूतली - बहरोड के द्वारा आ. ख.न.1410,1411,1412,1413,1414, 1415,1416,1417,1446,1447, 1448,1449,1450,1451,1452 में वाके मोजा बासडी तहसील कोटपूतली में स्वयं के हिस्से की भूमी को जरिये विरास्त खुलवाने बाबत इस न्यायालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति उज्र हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष उपस्थित होकर उज्र प्रस्तुत कर सकता है।
आज्ञा से-तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील-कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

नाम परिवर्तन

मैंने मेरी पुत्री अनव्या (Anavya) का नाम बदलकर अनव्या शर्मा (Anavya Sharma) कर लिया है भविष्य में मेरी पुत्री का नाम अनव्या शर्मा (Anavya Sharma) पुत्री अजय कुमार शर्मा, जी-1 विराट-7, प्लाट नं. 53ए हीराबाडी निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर पढा जावे।

मैंने अपना नाम कमलेश महावर से बदलकर कमलेश कुमार महावर रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम कमलेश कुमार महावर पुत्र श्री कस्तुर चंद कोली के नाम से जाना पहचाना जावे। निवासी-178, गोवर्धनपुरी, कच्ची बस्ती, जयपुर, राजस्थान

I Hav Shri Ram Swami Service no-15689878A S/O Bhagwanaram Swami R/O Ward no. 9, village- Bhadwari, Tehsil- Khandela, District- Sikar Rajasthan- 332708 have changed my wife's name From Mamtha Devi to Mamta Devi in all my service records for all future purposes.

I MICHAEL KHAN S/O Late Sh. A. A. Khan, P-7 Shiv heera path, chomu house, Jaipur changed my surname as MICHAEL JOHN Also my wife surname from ANJALI KHAN to ANJALI MICHAEL

I army no 15762337K Ex Hav (OFC) ramji lal S/O mala ram R/O plot no 14 green nagar A new loha Mandi road macheda jaipur that have changed my son name From as AKASH is wrong entered in service record To AAKASH SAINI (DOB 18/5/2006) vide affidavit dated 15 apr 2024 before district notary Jaipur

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, वानिकी पथ क्र. सं. 4, जयपुर महानगर -द्वितीय
CNR-RJJTJA0013542019
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध मैसर्स अभिनव फार्मा
वाद-बाबत वसुली वाद सं. 78/20 CIS 599/19
बनाम : -1) मैसर्स अभिनव फार्मा जरिए प्रोप्रायटर रामवीर सिंह तंवर पुत्र छगन सिन्ह तंवर, शॉप/ऑफिस नं.4, प्लॉट नं. 40, राम नगर B, झोटवाडा, जयपुर 302012
2) रामवीर सिंह तंवर पुत्र छगन सिन्ह तंवर प्रोप्रायटर मैसर्स अभिनव फार्मा प्लॉट नं. 121-ए, बाल विहार कालोनी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर- 302012
वादी ने आपके विरुद्ध वाद बाबत वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में दिनांक 21.05.2024 को दिन में 8:00 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा, या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 04 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय क्र. सं. 4 जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, वानिकी पथ क्र. सं. 4, जयपुर महानगर -द्वितीय
CNR-RJJTJA0012202019
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध मैसर्स चावलवाला मधुबाला फुडस
वाद-बाबत वसुली वाद सं. 578/2019 CIS 136/19
बनाम : -1) मैसर्स चावलवाला मधुबाला फुडस जरिए प्रोप्रायटर श्रीमती मधुबाला भारद्वाज पत्नि महेन्द्र प्रकाश - B-9, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर, जयपुर 302021
2) श्रीमती मधुबाला भारद्वाज पत्नि महेन्द्र प्रकाश प्रोप्राइटर मैसर्स चायवाला मधुबाला फुड्स-स्थाई निवासी पता- 379, गैस गोदाम के पास, दौलत नगर, बूंदी-323001, अस्थाई निवासी पता-1-3, 38-39, भैरूजी रेसिडेंसी, वैशाली नगर, जयपुर 302021
वादी ने आपके विरुद्ध वाद बाबत वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में दिनांक 14.05.2024 को दिन में 10:00 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा, या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 22 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय क्र. सं. 4 जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, वानिकी पथ क्र. सं. 4, जयपुर महानगर -द्वितीय
CNR-RJJTJA0031382021
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध मैसर्स एस एस स्टोन इंडिया
वाद-बाबत वसुली वाद सं. 05/20 CIS 301/21
बनाम : -1) मैसर्स एस एस स्टोन इंडिया जरिए प्रोप्रायटर भगवान सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह, व्यवसाय पता- H1-292, रीको इंडस्ट्रियल एरिआ, सरना डूंगर, जयपुर 302012 (मोबाईल नम्बर 8947065159), 2) भगवान सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह प्रोप्रायटर मैसर्स एस एस स्टोन इंडिया, निवास पता 167, भट्टो कि गली, रामपुरा, तहसिल आमेर जयपुर 303701
वादी ने आपके विरुद्ध वाद बाबत वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में दिनांक 03.07.2024 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा, या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 04 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय क्र. सं. 4 जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय, वानिकी पथ क्र. सं. 4, जयपुर महानगर -द्वितीय
CNR-RJJTJA0010282020
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध मैसर्स सुमन साडीज
वाद-बाबत वसुली वाद सं. 54/20 CIS 126/20
बनाम : -1) मैसर्स सुमन साडीज जरिए प्रोपरायटर घनशाम जाट पुत्र शंकर लाल जाट, व्यवसाय पता- शॉप नम्बर 28, नीर सागर-बी, मार्केट, भांकरोटा, अजमेर रोड के पास, जयपुर 302026, 2) घनशाम जाट पुत्र शंकर लाल जाट प्रोपराइटर मैसर्स सुमन साडीज, निवासी- दादर वालो की ढाणि, नेवटा नोटा, जयपुर 302029
वादी ने आपके विरुद्ध वाद बाबत वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में दिनांक 14.05.2024 को दिन में 8:00 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा, या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 02 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय क्र. सं. 4 जयपुर